उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-Ashok Marg, Shakti Bhawan,
Lucknow.

संख्याः 239–अ0प्र0(02ब) / पाकालि / 2016–7 / 78 दिनांक : 25 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में दिनांक 31–07–2016 से 30–06–2017 के मध्य 60 वर्ष की अधिवर्षतावय पूर्ण करने वाले वैद्युत एवं यान्त्रिकी / जानपद संवर्ग के निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित तिथि को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होंगे :–

क्र0 सं0	अधिशासी अभियन्ता का नाम (अभि0 संख्या) (गृह जनपद), वर्तमान तैनाती का कार्यालय / स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	मोहम्मद जका उल्लाह खान (97014) (मुरादाबाद), अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद।	07.07.1956	31.07.2016
2.	श्रीयुत श्री कृष्ण (9504) (सीतापुर), अधिशासी अभियन्ता (जानपद), सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (जानपद), पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।	15.08.1956	31.08.2016
3.	उदय भान वर्मा (97118) (फैजाबाद), अधिशासी अभियन्ता एवं उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।	01.10.1956	30.09.2016
4.	अनिल कुमार गर्ग (8902) (मेरठ), अधिशासी अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	01.02.2957	31.01.2017
5.	निसार अहमद (98166) (अलीगढ़), अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य, विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, बरेली।	20.01.1957	31.01.2017

2– उपरोक्त आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को स्तम्भ–4 में अंकित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि (अपरान्ह) तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि से पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षतावय प्राप्त कर चुके अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वे बिना किसी अग्रेतर आदेश / निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त हो जायें। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्त की तिथि, सूचित की जा रही तिथि से, पहले पड़ती है तो वास्तविक एवं सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

3– चूंकि अधिशासी अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार डिस्काम के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान कर दिये गये है जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित स्थानान्तरण आदेश कारपोरेशन में ससमय पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अतः यदि सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की तिथि के उपरान्त अथवा पूर्व में उनकी तैनाती स्थिति में पावर कारपोरेशन / डिस्काम स्तर पर कोई परिवर्तन हो तो उसे तद्नुरूप संशोधित समझा जाये।

क्रमशः..............2.........

4– सेवानिवृत्त होने वाले सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व अपने निवास के पते की सूचना कारपोरेशन मुख्यालय को अवश्य दे दें ताकि सेवानिवृत्ति पेंशन आदि देयों के सम्बन्ध में वांछित स्थान पर पत्र व्यवहार किया जाना सम्भव हो सके।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 239(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/समस्त संयुक्त सचिव/समस्त उप सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/ मेरठ/वाराणसी।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)/नियोजन/रेस्पो/ऊर्जा प्रणाली/जांच समिति–प्रथम/द्वितीय/जलविद्युत/विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. अनु सचिव (सोपन), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक, (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा/जी0पी0एफ0/पेंशन/बी0एस0ए0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाईज़ ट्रस्ट, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता वेब, शक्ति भवन, लखनऊ (वेबसाइट द्वारा सूचित करने हेतु)।
12. सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचनापट/कम्प्यूटर इकाई।
13. प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरूद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

आज्ञा से,

(सदा नन्द)
उप सचिव